

सी.आर.बी.डी. - रिटेल देयताएं

केन्द्रीय कार्यालय-उपभवन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 8वीं मंजिल, मेकर टावर, कफ परेड, मुंबई

रिटेल मीयादी जमाओं के समयपूर्व बंदी पर जुर्माना

01.04.2020 से, 01.04.2020 को या उसके बाद खोले गए / नवीनीकृत रिटेल मीयादी जमाओं के समयपूर्व बंदी पर जुर्माना वसूल किया जाएगा.

ब्यौरा निम्नानुसार है;

- रिटेल मीयादी जमा (₹.2.00 करोड़ से कम) के परिपक्वतापूर्व बंद करने के मामले में, जो 7 दिनों या उससे अधिक के लिए है, ब्याज को लागू दर (डिपॉजिट खोलने की तिथि पर लागू) की तुलना में 1.00% से कम भुगतान किया जाएगा और उस अवधि के लिए जिसके लिए यह वास्तव में बैंक के पास है या अनुबंधित दर, जो भी कम हों. निम्न मामलों को छोड़कर;
 - i) फ्लेक्सी मीयादी जमा
 - ii) बैंक द्वारा मीयादी जमाराशियों को बंद करना (उदाहरण के लिए प्रतिभूति जमाओं को मांगना)
 - iii) आवर्ती जमा / यूनियन मासिक प्लस योजना
 - iv) मनी फ्लेक्स जमा योजना
- एनआरई एवं एफसीएनआर जमाराशियों के लिए दंडात्मक ब्याज नहीं वसूला जाएगा. हालांकि, यह एनआरओ जमाराशियों के लिए लागू होगा।